3704

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the ~~01-2021~~ 22-2-2021

Order

Sub :- **Diversion of 1.5541 ha of forest land in favour of HPPTC Limited for the construction of 66/220 Sub Station Hilling at Dalli, Sub Tehsil Holi, within the jurisdiction of Bharmour Forest Division,Distt.Chamba, H.P.(Online no. FP/HP/Trans/27028/2017).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/04/120/2019/FC/139** dated **22-01-2021** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.5541** हैक्टेयर वन भूमि को **HP Power Transmission Corporation Limited,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.11 है0 Banog DPF खसरा नं0 1048 पद Mahal Bhatada पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 160 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
5. एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 20-01-2021 in I.A. No. 71789/2020 { (Applications for directions and exemption from O.T.) in I.A NO. 3840(Disposed of) in WP(C) No.-202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.,}
7. राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रयोक्ता अभिकरण ट्रांसमिशन लाईन के RoW के नीचे बौनी प्रजातियों (अधिमानतः औषधीय पौधे) के सृजन एवं रखरखाव के लिए तैयार योजना का निष्पादन वन विभाग द्वारा किया जाऐगा।

Contd/-2

8. प्रयोक्ता अभिकरण अपनी लागत पर पक्षी डिफलेक्टर लगाएगा, जिन्हें पक्षियों को आहत होने से बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाईन के ऊपरी कंडक्टर पर उपयुक्त दूरी पर लगाया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वन क्षेत्रों से ट्रांसमिशन लाईनों को बिछाते वक्त मंत्रालय के पत्र संख्या 7–25/2012–एफ.सी. दिनांक 05/05/2014 एवं 19/11/2014 द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगा।
10. यदि आवश्यक हो, तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करेगी।
11. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान मे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषताः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर पिलर द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिसपर Forward, Backward बीयरिंग अंकित होगें।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यविक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
19. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना वन विभाग हि0 प्र0/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
22. A lease-deed of the forest land shall be executed by the user Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Chamba Distt. Chamba, H.P.

Contd/-3

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 22 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh.
6. DFO Bharmour Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7. The HP Power Transmission Corporation Limited Shimla H.P.
8. Guard File.

(R.D Dhiman)
Addl.Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

…ती सं 3791
…ांक 24/2/21

K.K
26/2/2021
S/FCA
23/2/2021

3701

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 22-02-2021

Order

Sub :- Diversion of 4.05 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Dandhal to Shankerdehra to Rajgarh road, within the jurisdiction of Karsog Forest Division, Distt. Mandi, H.P.(online no. FP/HP/Road/7116/2014).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/06/123/2017/FC/90 dated 18-11-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **4.05 ha** वन भूमि को **HPPWD,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**

   क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 8.10 हे0 D-135 Fafan पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।

   ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

   ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 422 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
5. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आई आर सी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की सख्या बढ़ाएगा।
7. संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति–अवरोधक लगाए जाएगें।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on **15-02-2021 in I.A No. 191338 of 2019, IA No. 55071 , 121109, 130847, of 2020 in WP(C) No.-202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.**

Contd./2

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषताः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

16. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

17. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यविक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना वन विभाग हि0 प्र0/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 22 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi Himachal Pradesh.
6. DFO Karsog Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Karsog, Distt. Mandi HP
8. Guard File.

(R.D.Dhiman)
Addl. Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

S/FCA
23/2/2021

ती सं 3794
ांक 24/2/21

610

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 29-02-2021

Order

Sub :- **Diversion of 0.115 ha of forest land in favour of Iqu Power Company Private Ltd. for the construction of 33 KV Transmission Line from Iqu SHEP- Isolation point to 33 KVHPSEBL Baner Power House switchyard, within the jurisdiction of Palampur Forest Divisions, Distt. Kangra, H.P.(online no. FP/HP/TRANS /39054/2019).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/04/118/2019/264 dated 08-06-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.115 ha** वन भूमि को **Iqu Power Company Private Ltd.** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 230 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे
5. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on **15-02-2021 in I.A No. 191338 of 2019, IA No. 55071 , 121109, 130847, of 2020 in WP(C) No.-202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.**
7. राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रयोक्ता अभिकरण ट्रांसमिशन लाईन के RoW के नीचे बौनी प्रजातियों (अधिमानतः औषधीय पौधे) के सृजन एवं रखरखाव के लिए तैयार योजना का निष्पादन वन विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण तैयार योजना की एक प्रति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वत मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय तल, सी0जी0ओ0 परिसर, लांगवुड, शिमला–171001 के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण अपनी लागत पर पक्षी डिफ्लेक्टर लगाएगा, जिन्हें पक्षियों को आहत होने से बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाईन के ऊपरी कंडक्टर पर उपयुक्त दूरी पर लगाया जाएगा।

Contd./2

9. प्रयोक्ता अभिकरण वन क्षेत्रों से ट्रांसमिशन लाईनों को बिछाते वक्त मंत्रालय के पत्र संख्या–7–25/2012 – एफ.सी. दिनांक 05/05/2014 एवं 19/11/2014 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।
10. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेगा।
11. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषताः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Kangra, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 22 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala, Distt., Kangra, Himachal Pradesh.
6. DFO Palampur Forest Division, Distt., Kangra H.P.
7. M/s Iqu Power Company Private Ltd.
8. Guard File.

(R.D.Dhiman)
Addl.Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

आवती सं 3798
दिनांक 24/2/21

SAPCA
24/2/2021

3824

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the 22 -02-2021**

Order

Sub :- **Diversion of 0.3219 ha (instead of 0.6146 ha) of forest land in favour of HRTC for the construction of Bus Stand & Dumping Site at Thunag, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online no. FP/HP/ others /36791/2018).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/125/2019/FC/98 dated 25-11-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.3219 (instead of 0.6146 ha)** हैक्टेयर वन भूमि को **HRTC Mandi,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 643 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
5. एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

7. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on **15-02-2021 in I.A No. 191338 of 2019, IA No. 55071 , 121109, 130847, of 2020 in WP(C) No.-202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.**

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त स्थानों पर प्रस्ताव के अनुसार अधिक से अधिक वृक्षों को रोपित कर Greenery को maintain करेंगे।

Contd/-2

9. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
10. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषताः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
12. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
13. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
14. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
15. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
16. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थालों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना वन विभाग हि0 प्र0/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
20. A lease-deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Contd/3

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 22 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Mandi Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. The Ex-Engineer I& PH Distt. Mandi HP
8. Guard File.

Sd/-
(R.D.Dhiman)
Addl. Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

आवती सं 3797
दिनांक 24/2/21

8/FCA
28/2/2021

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** **-02-2021**

Order

Sub :- **Diversion of 4.05 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Dandhal to Shankerdehra to Rajgarh road,**

3995

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 22 -02-2021

Order

Sub :- **Diversion of 0.6177 ha of forest land in favour of Regional Manager, HRTC Mandi, for the construction of Bus Stand at Janjehli Distt. Mandi HP, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online no. FP/HP/ others /42034/2019).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/26/2020/FC/97 dated 25-11-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.6177** हैक्टेयर वन भूमि को **Regional Manager, HRTC Mandi,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1235 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 8 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
5. एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on **15-02-2021 in I.A No. 191338 of 2019, IA No. 55071 , 121109, 130847, of 2020 in WP(C) No.- 202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.**
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त स्थानों पर प्रस्ताव के अनुसार अधिक से अधिक वृक्षों को रोपित कर Greenery को maintain करेंगे।

Contd/-2

9. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
10. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषताः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
12. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
13. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
14 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
15 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
16 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थालों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
17 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना वन विभाग हि0 प्र0/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
18 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
20 A lease-deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Contd/3

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 22 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Nachan Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. Regional Manager, HRTC Mandi .
8. Guard File.

(R.D Dhiman)
Addl. Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

S/FCA
23/2/2021

वती सं 3795
ांक 24/2/21

3277

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 22-02-2021

Order

Sub :- **Diversion of 0.74 ha of forest land in favour of I & PH Department for the construction of Sewerage Treatment Plant, Laying of trunk sewer line of sewerage scheme to Rewalsar Town, Nagar Panchayat Rewalsar, within the jurisdiction of Mandi Forest Divisions, Distt. Mandi, H.P.(online no. FP/HP/oothers/16747/2016)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/64/2017/930 dated 11-08-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.74 ha** वन भूमि को **I & PH Department.,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 640 पौधों का रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार दी गयी वनाच्छादित वन भूमि मे किया जाएगा। जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 64 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।

5. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

7. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on **15-02-2021 in I.A No. 191338 of 2019, IA No. 55071 , 121109, 130847, of 2020 in WP(C) No.-202/1995 titled as T.N.Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.**

8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

Contd/2

9. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
10. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषताः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
12 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
13 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
14 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
15 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17 The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls/terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per plan.Tree felling is not permitted in the muck disposal area.
18 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना वन विभाग हि० प्र०/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
19 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 22-02-2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

2. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5 The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Nachan Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7 Regional Manager, HRTC Mandi .
8 Guard File.

(R.D Dhiman)
Addl. Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

प्रावती सं 3196
दिनांक 24/2/21

S/PCA
23/2/2021